

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पत्रांक—
प्रेषक,

टी-4 / योजना -44/20241597...../ पटना, दिनांक—

23.06.2025

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:—

सात निश्चय पार्ट-2 (2020-25) के तहत "हर जिले में मेगा स्किल सेंटर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)" स्कीम अन्तर्गत प्रथम चरण में 9 प्रमंडलीय जिलो में वित्तीय वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्षों में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत रू0-280.87 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के युवाओं एवं जन सामान्य को बेहतर भविष्य की दिशा में कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसरों को समझने में मदद एवं उनको मिलने वाली अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन करने, साथ ही युवाओं को अच्छे कौशल एवं नौकरी के अवसर प्रदान करते हुए उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सात निश्चय पार्ट-2 (2020-25) के तहत "हर जिले में मेगा स्किल सेंटर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)" स्कीम अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन प्रथम चरण में 9 प्रमंडलीय जिलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्षों में स्थापित होने वाले मेगा स्किल सेंटर हेतु कुल रू0-280.87 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति राज्य सरकार प्रदान करती है।

- 2— प्रथम चरण वर्ष 2025-30 अन्तर्गत राज्य संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मेगा स्किल सेंटर के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों का संचालन करने हेतु सहभागिता प्राप्त कर इन केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
- 3— बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण हेतु मशीन, उपकरण, मानव बल तथा अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4— मेगा स्किल सेंटर (हब एण्ड स्पोक) दोनों का संचालन उक्त सेंटर के लिए गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। मेगा स्किल सेंटर हेतु गठित होने वाली कमेटी का गठन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसमें प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन समिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। शेष सदस्यों का चयन बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्वद के द्वारा की जायेगी।
- 5— मेगा स्किल सेंटर हब के संचालन हेतु निम्न प्रकार से वरीय पदाधिकारी की टीम होगी—

1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन
2	निदेशक	प्रशासन
3	निदेशक	वित्त
4	निदेशक	परिचालन

टीम के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में बिहार कौशल विकास मिशन की शासी पर्षद आवश्यक निर्णय लेगी। निदेशक स्तर के पदाधिकारियों का चयन मेगा स्किल सेंटर हेतु गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यह पद प्रतिनियुक्ति/संविदा पर होगा। निदेशक (परिचालन) प्रतिष्ठित उद्योग अथवा कौशल प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षाविद् होंगे। शेष पद पर राज्य सरकार द्वारा चयनित पदाधिकारी होंगे, जिसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी, जिसका निर्णय मेगा स्किल सेंटर हेतु गठित कमेटी द्वारा लिया जायेगा। मेगा स्किल सेंटर (हब एवं स्पोक) के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे तथा प्रबंध निदेशक सहभागी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नामित किया जायेगा एवं अन्य पदों के विषय में बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद द्वारा निर्णय लिया जायेगा। मेगा स्किल सेंटर (हब एण्ड स्पोक) की अलग से संचालन नियमावली मेगा स्किल सेंटर (हब/स्पोक) के लिए गठित संबंधित कमेटी बनायेगी एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद से अनुमोदित करायेगी। इस योजना का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जायेगा।

- 6- मेगा स्किल सेंटर के द्वारा पांच वर्षों में लगभग 21,600 (इक्कीस हजार छः सौ) युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। चयनित एजेन्सी को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में मेगा स्किल सेंटर हेतु गठित कमेटी द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जायेगा। चयनित एजेन्सी द्वारा एक स्वतंत्र प्लेसमेंट सेल का गठन किया जायेगा, जो प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन सुनिश्चित करेगा। साथ ही, चयनित एजेन्सी द्वारा स्वरोजगार हेतु एक इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी, जो स्वरोजगार में प्रशिक्षित युवाओं को मदद करेगी। पाठ्यक्रम का निर्धारण मेगा स्किल सेंटर हेतु गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा एवं तदनुसार उपकरण आदि की व्यवस्था चयनित एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। उक्त परियोजना का सार निम्नवत होगा:

1	परियोजना अवधि	5 वर्ष
2	परियोजना का संचालन	बिहार कौशल विकास मिशन
3	परियोजना का लागत	रु0 280.87 करोड़
4	राज्य सरकार द्वारा देय राशि	रु0 280.87 करोड़
6	प्रशिक्षण लक्ष्य	21,600

- 7- राशि का व्यय मांग संख्या-26 के मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्न विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से होगी:

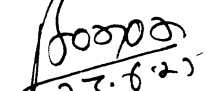
18

विपत्र कोड	विषय शीर्ष
26-2230030030130	0130-31-04 सहायक अनुदान वेतन
	0130-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन
26-2230037890102	0102-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन
26-2230037960122	0122-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त विपत्र कोड में उपबंधित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

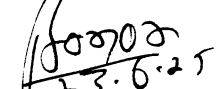
- 8- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा नियमानुकूल राशि को व्यय किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 9- इस योजना हेतु उपबंधित राशि की निकासी कर बिहार कौशल विकास मिशन के पी0एल0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
- 10- प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
- 11- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन


23.6.25
संयुक्त सचिव

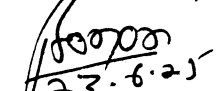
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-4 / योजना -44 / 20241597...../ पटना, दिनांक- 23.06.2025
प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ विकास आयुक्त के सचिव/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23.6.25
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-4 / योजना -44 / 20241597...../ पटना, दिनांक- 23.06.2025
प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/सभी स्थापना शाखा, भवन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा, मासिक व्यय शाखा, योजना शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


23.6.25
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग।